Objectionable Cartoon in *Swadhinata*

*847. **Shri Hari Vishnu Kamath:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the matter of the objectionable cartoon which appeared in *Swadhinata*, a Bengali daily, on 15th August, 1962, has been further examined, and

(b) if so, with what result?

The Minister of Home Affairs (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) Yes.

(b) Government are advised that the cartoon is not legally actionable.

अप्रतिबन्धित लाइसेंस

२३७२. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्रों के अप्रतिबंधित आजीवन लाइसेन्स किसे किसे दिये जाते हैं और उन का आधार क्या है ;

(ख) अधिक से अधिक कितने शस्त्रों के लिये; और

(ग) क्या ये लाइसेंस किसी राज्य विशेष में दिये जाते हैं या सारे भारत में ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) उन व्यक्तियों को, जो १९२४ के भारतीय शस्त्र नियम की अनुसूची १ में मूलत: अनुबद्ध सारणी के अधीन अपने निजी शस्त्र बिना लाइसेन्स रखने के अधिकृत थे, अब उन्हें ऐसे शस्त्रों को बिना लाइसेन्स शुल्क के आजीवन रखने का अधिकार है, या उस समय तक, जब तक कि मूल छूट के अनुबन्धों के अधीन बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने के अधिकारी हों ।

(ख) शस्त्रों की अधिकतम संख्या उतनी है, जितनी के लिये वे बिना लाइसेन्स के मलत: रखने के अधिकृत थे ।

(ग) ऐसे लाइसेन्स अधिकृत व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं ? चाहे वे भारत में कहीं रहते हों ।

शस्त्रों के लिये लाइसेंस

२३७३. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राइफलों, बन्दूकों तथा तमंचों के कौन कौन से बोर ऐसे हैं जिन के लाइसेन्स सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को नहीं दिये जाते हैं; और

(ख) क्या ४१० बोर अथवा किसी भी बोर की स्टिक गन के लाइसेन्स पर भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिबन्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन किन राज्यों में ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) निषिद्ध श्रेणियां १९५१ के भारतीय शस्त्र नियमों के नियम सात में वर्णित हैं । यह निषेध भारतीय शस्त्र अधिनियम, १८७८ की धारा १ के अनुबन्धों के अनसार सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) समस्त भारत में ।

Indebtedness among Service Officers and Personnel

2374. **Shri Manabendra Shah:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of service officers against whom departmental action has been taken for indebetedness year-wise during the last 3 years;

(b) the number of such officers who were proceeded against in the court;

(c) whether any comprehensive study has been conducted into the causes of indebetedness amongst the service officers and personnel; and

(d) whether any effective steps have been taken to check this habit?